झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :–1/पी०एम०सी०/कार्य–986/2017 – .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– लातेहार जिलान्तर्गत बिरहा सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु रू० 1168.31 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख एकतीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन लातेहार जिलान्तर्गत महुआडांड प्रखण्ड में बिरहा नदी पर निर्मित बिरहा सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु रू० 1168.31 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख एकतीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस कार्य के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराया जायेगा :–

i) बिरहा सिंचाई योजना के दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 7.92 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।

ii) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं यथा– फॉल, सेतु तथा आउटलेट का मरम्मति/निर्माण कार्य।

iii) बिरहा सिंचाई योजना के वीयर का मरम्मति कार्य।

4. कार्य कराने के पश्चात् योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 730 हे० में सिंचाई हो पायेगी।

5. यह कार्य वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर वर्ष 2018–19 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

6. इस योजना का कार्यान्वयन आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर होगें तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होगे।

7. इस योजना पर होने वाला व्यय –

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

8. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

9. इस कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

10. कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

11. उक्त कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. इस कार्य के लिए राशि की निकासी पलामू कोषागार, पलामू से की जायेगी।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15 प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

16. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० / –
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :–1 / पी०एम०सी० / कार्य–986 / 2017 – .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु / योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :–1 / पी०एम०सी० / कार्य–986 / 2017 – .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पलामू कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :–1/पी०एम०सी०/कार्य–986/2017 – 27/17-18 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 24.07.2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, कदवन बाँध अंचल, गढ़वा, शिविर मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)